



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:40722

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या.- 4004/2026

सलीम उर्फ सनन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

:- कौशलेन्द्र के.त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 11

माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. प्रस्तुत जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 132/2026, गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत, आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक को मात्र इस आधार पर वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है कि पूर्व में उसके विरुद्ध सात मुकदमे दर्ज थे, जबकि उक्त सभी मामलों में वह जमानत पर है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक दिनांक 06.05.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा सह-अभियुक्त मोहम्मद रहमान उर्फ ताज को दांडिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 3782/2026 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2026 के द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। तथापि, उन्होंने इस तथ्य पर विवाद नहीं किया कि साक्षी के कथन में आवेदक की भूमिका पाई गई है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने तथा जमानत आवेदन एवं अन्य प्रासंगिक सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है, किन्तु उसमें उसकी भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया है। सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः यह जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक उपयुक्त प्रकरण है।

6. जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक -**सलीम उर्फ सनन**- को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नवत् शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके किए जाने का उस पर आरोप है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह उक्त तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र प्रस्तुत करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर वह किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-क भारतीय दंड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि को आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय

**अस्वीकरण:**

*अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*

उसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174-क/भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामला शुरू होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज किए जाने के लिए तय की गई तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर की गई है या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह विकल्प खुला रहेगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करे।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 10, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।